2019 का विधेयक संख्यांक 86

(दि आधार एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिंदी अनुवाद)

आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 का संशोधन करने तथा भारतीय तार अधिनियम, 1885 और धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

भाग 2

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 का संशोधन

धारा 2 का संशोधन ।

2. आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसके पश्चात् इस भाग में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— 2016 का 18

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(क) आधार संख्या से धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी पहचान संख्या अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत उस धारा की उपधारा (4) के अधीन जनित कोई वैकल्पिक परोक्ष पहचान भी है ;';

(ii) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(कक) "आधार पारिस्थितिक तंत्र" के अंतर्गत नामांकन अभिकरण, रजिस्ट्रार, अनुरोधकर्ता अस्तित्व, आफ लाइन सत्यापन चाहने वाले अस्तित्व और कोई अन्य अस्तित्व या अस्तित्वों का समूह है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;';

(iii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(खक) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से धारा 33ख की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी अभिप्रेत है ;

(खख) "अपील अधिकरण" से धारा 33ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;';

(iv) खंड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(झक) "बालक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है ;';

(v) खंड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(तक) "आफलाइन सत्यापन" से ऐसे आफलाइन ढंगों से, जैसा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिप्रमाणन के बिना आधार संख्या धारक की पहचान करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(तख) "आफलाइन सत्यापन चाहने वाला अस्तित्व" से कोई अस्तित्व अभिप्रेत है, जो किसी आधार संख्या धारक का आफलाइन सत्यापन करने की वांछा करता है ;'।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 3 का संशोधन

"(4) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी की गई आधार संख्या बारह अंकों की पहचान संख्या होगी और किसी व्यक्ति की वास्तविक आधार संख्या के विकल्प के रूप में वैकल्पिक परोक्ष पहचान प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में जनित की जाएगी, जैसी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।"।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 3क का अंतःस्थापन। ।

"3क. (1) नामांकन अभिकरण, बालक के नामांकन के समय बालक के पिता या माता अथवा संरक्षक की सहमति मांगेगा और धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट ब्यौरों को पिता या माता अथवा संरक्षक को सूचित करेगा । बालकों की आधार संख्या ।

(2) कोई बालक, जो आधार संख्या धारक है, अठारह वर्ष की आयु पूर्ण करने पर छह मास की अवधि के भीतर प्राधिकरण को, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसकी आधार संख्या रद्द करने के लिए आवेदन करेगा और प्राधिकरण उसकी आधार संख्या रद्द करेगा ।

(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, किसी बालक द्वारा अधिप्रमाणन द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने में या आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करने में असफलता के मामले में अथवा, उस बालक के मामले में, जिसे कोई आधार संख्या नहीं दी गई है, नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उसे किसी सब्सिडी, फायदे या सेवा से इंकार नहीं किया जाएगा ।"।

5. मूल अधिनियम की धारा 4 में उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 4 का संशोधन ।

"(3) प्रत्येक आधार संख्या धारक, अपनी पहचान स्थापित करने के लिए, अधिप्रमाणन द्वारा या आफलाइन सत्यापन द्वारा या ऐसे अन्य रूप में, जो ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अधिसूचित किया जाए, स्वेच्छया अपनी आधार संख्या को भौतिक या इलैक्ट्रानिक रुप में उपयोग कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अधिप्रमाणन द्वारा आधार संख्या के स्वेच्छया उपयोग से ऐसी आधार संख्या का केवल आधार संख्या धारक की सूचित सहमति से ही उपयोग अभिप्रेत है ।

(4) किसी अस्तित्व को अधिप्रमाणन करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, यदि प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि अनुरोधकर्ता अस्तित्व—

(क) निजता और सुरक्षा के ऐसे मानकों का अनुपालन करता है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ; और

(ख) (i) अधिप्रमाणन सेवाएं आमंत्रित करने के लिए संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अनुज्ञात किया जाता है ;

(ii) ऐसे प्रयोजन के लिए अधिप्रमाणन चाहता है, जो केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण के परामर्श से और राज्य के हित में विहित करे ।

(5) प्राधिकरण, विनियमों द्वारा यह विनिश्चय कर सकेगा कि क्या किसी अनुरोधकर्ता अस्तित्व को, अधिप्रमाणन के दौरान वास्तविक आधार संख्या का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा या केवल उसकी वैकल्पिक परोक्ष पहचान का उपयोग करने के लिए ।

(6) प्रत्येक अनुरोधकर्ता अस्तित्व, जिसे उपधारा (3) के अधीन आधार संख्या धारक द्वारा अधिप्रमाणन का अनुरोध किया जाता है, आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन सूचित करेगा और उसे अधिप्रमाणन से इंकार करने या असमर्थ होने के कारण किसी सेवा से मना नहीं करेगा ।

(7) पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी सेवा के प्रदान किए जाने के लिए किसी आधार संख्या धारक का आज्ञापक अधिप्रमाणन किया जाएगा, यदि ऐसा अधिप्रमाणन संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अपेक्षित है ।"।

धारा 8 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(क) उपधारा (2) में, —

(i) खंड (क) में "सहमति अभिप्राप्त करेगा" शब्दों के पश्चात्, "या बालक के मामले में उसके पिता या माता अथवा संरक्षक की सहमति अभिप्राप्त करेगा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु अनुरोधकर्ता अस्तित्व, वृद्धावस्था के कारण या अन्यथा रोग, क्षति या अक्षमता होने के कारण अथवा किन्हीं तकनीकी या अन्य कारणों से अधिप्रमाणन में असफलता के मामले में, व्यक्ति की पहचान के ऐसे वैकल्पिक या व्यवहार्य साधन प्रदान करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।"।

(ख) उपधारा (3) में "व्यक्ति को" शब्दों के पश्चात्, "या बालक के मामले में उसके पिता या माता अथवा संरक्षक को" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 8क का अंतःस्थापन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

आधार संख्या का आफलाइन सत्यापन ।

"8क. (1) किसी आधार संख्या धारक का प्रत्येक आफलाइन सत्यापन इस धारा के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक आफलाइन सत्यापन चाहने वाला अस्तित्व—

(क) आफलाइन सत्यापन करने के पूर्व, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, किसी व्यक्ति की सहमति या बालक के मामले में उसके

पिता या माता अथवा संरक्षक की सहमति प्राप्त करेगा ; और

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आफलाइन सत्यापन के लिए किसी व्यक्ति से संग्रहीत कोई जनसांख्यकीय सूचना या कोई अन्य सूचना केवल ऐसे सत्यापन के प्रयोजन के लिए ही उपयोग की जाए ।

(3) आफलाइन सत्यापन चाहने वाला अस्तित्व, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आफलाइन सत्यापन करवाने वाले व्यक्ति को या बालक के मामले में उसके पिता या माता अथवा संरक्षक को आफलाइन सत्यापन के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरों की सूचना देगा, अर्थात् :—

(क) आफलाइन सत्यापन में साझा की जाने वाली सूचना की प्रकृति;

(ख) आफलाइन सत्यापन चाहने वाले अस्तित्व द्वारा आफलाइन सत्यापन के दौरान प्राप्त सूचना के किए जा सकने वाले उपयोग ; और

(ग) अनुरोध की गई सूचना को प्रस्तुत करने के विकल्प, यदि कोई हों ।

(4) आफलाइन सत्यापन चाहने वाला कोई अस्तित्व—

(क) आधार संख्या धारक को अधिप्रमाणन के अधीन नहीं करेगा ;

(ख) किसी प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की आधार संख्या या बायोमेट्रिक जानकारी संगृहीत, उपयोग या भण्डारित नहीं करेगा ;

(ग) उस पर किसी बाध्यता के विपरीत कोई कार्रवाई नहीं करेगा, जैसा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।"।

धारा 21 का प्रतिस्थापन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।

"21. (1) प्राधिकरण ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित हों ।

(2) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।"।

नई धारा 23क का अंतःस्थापन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 23 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

प्राधिकरण की निदेश जारी करने की शक्ति ।

"23क. (1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, आदेश द्वारा, समय-समय पर आधार पारिस्थितिक तंत्र में किसी अस्तित्व को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक निदेश आधार पारिस्थितिक तंत्र में उस अस्तित्व के द्वारा अनुपालन किया जाएगा, जिसे ऐसा निदेश जारी किया गया है ।"।

धारा 25 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 25 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

निधि ।

"25. (1) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा,—

(क) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, फीस और प्रभार ; और

(ख) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्त्रोतों से प्राप्त सभी राशियां, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएँ ।

(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए होगा—

(क) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को या उनके संबंध में संदेय वेतन, भत्ते, और पेंशन भी है ; और

(ख) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए व्यय ।"।

धारा 29 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 29 में,—

(क) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) अनुरोधकर्ता अस्तित्व या आफलाइन सत्यापन चाहने वाले अस्तित्व के पास उपलब्ध सूचना—

(क) अधिप्रमाणन या आफलाइन सत्यापन के लिए कोई जानकारी प्रस्तुत करते समय व्यक्ति को लिखित में सूचित प्रयोजनों से भिन्न, किसी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं की जाएगी ;

(ख) अधिप्रमाणन या आफलाइन सत्यापन के लिए कोई जानकारी प्रस्तुत करते समय व्यक्ति को लिखित में सूचित प्रयोजनों से भिन्न, किसी प्रयोजन के लिए प्रकट नहीं की जाएगी :

परंतु खंड (क) और खंड (ख) के अधीन प्रयोजन व्यक्ति को समझने योग्य सुस्पष्ट और शुद्ध भाषा में होंगे ।"।

(ख) उपधारा (4) में, "या कोर बायोमैट्रिक सूचना" शब्दों के स्थान पर, "जनसांख्यिकीय सूचना या छाया चित्र" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 33 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 33 में,—

(i) उपधारा (1) में, —

(क) "जिला न्यायालय" शब्दों के स्थान पर, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक में "प्राधिकरण को" शब्दों के पश्चात्, "तथा संबंधित आधार

संख्या धारक को" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोर बायोमैट्रिक सूचना प्रकट नहीं की जाएगी ।"।

(ii) उपधारा (2) में "संयुक्त सचिव" शब्दों के स्थान पर, "सचिव" शब्द रखे जाएंगे ।

नए अध्याय 6क का अंतःस्थापन ।

13. मूल अधिनियम के अध्याय 6 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**अध्याय 6क**

सिविल शास्तियां

इस अधिनियम, नियमों, विनियमों और निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने पर शास्ति ।

33क. (1) जहां आधार पारिस्थितिक तंत्र में कोई अस्तित्व इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों या धारा 23 क के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई सूचना, दस्तावेज, या रिपोर्ट की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसा अस्तित्व सिविल शास्ति का दायी होगा जो प्रत्येक उल्लंघन के लिए एक करोड़ रुपए तक हो सकेगी और निरंतर असफलता के मामले में, अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा जो पहले उल्लंघन के पश्चात् असफलता जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए दस लाख रुपए तक हो सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति की रकम, यदि संदत्त न की गई हो तो, वसूल की जा सकेगी मानो वह भू राजस्व का बकाया हो ।

न्यायनिर्णयन की शक्ति ।

33ख. (1) धारा 33क के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए तथा उसके अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्राधिकरण, प्राधिकरण का एक अधिकारी नियुक्त करेगा जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की रैंक से निम्न रैंक का नहीं होगा और उसके पास ऐसी अर्हता और अनुभव होगा, जो ऐसी रीति में जो विहित की जाए,जांच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी होने के लिए विहित किया जाए ।

(2) प्राधिकरण द्वारा किए गए परिवाद के सिवाय, उपधारा (1) के अधीन कोई जांच नहीं की जाएगी ।

(3) जांच करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी—

(क) आधार पारिस्थितिक तंत्र में अस्तित्व को, जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगा ;

(ख) को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है, के लिए समन करने तथा उपस्थित कराने की शक्ति होगी ।

(4) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी का, ऐसी जांच करने पर, यह समाधान हो

जाता है कि आधार पारिस्थितिक तंत्र में कोई अस्तित्व इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों या धारा 23क के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहा है या प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई सूचना, दस्तावेज या रिपोर्ट की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहा है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी, आदेश द्वारा, धारा 33क के अधीन ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

अपील अधिकरण को अपीलें ।

1997 का 24

33ग. (1) भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 14 के अधीन स्थापित दूर-संचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपीलें सुनने के प्रयोजन के लिए अपील अधिकरण होगा ।

(2) आधार पारिस्थितिक तंत्र में धारा 33 ख के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति या अस्तित्व, अपील किए गए आदेश की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी फीस के साथ जो विहित किया जाए, अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा :

परंतु अपील अधिकरण पैंतालीस दिन की उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् भी अपील सुन सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसे फाइल न करने का पर्याप्त कारण था ।

(3) उपधारा (2) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, अपील अधिकरण पक्षकारों को सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के पश्चात् उस पर अपील किए गए आदेश को संपुष्ट, उपांतरित या अपास्त करते हुए ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे ।

(4) अपील अधिकरण उसके द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति अपील के पक्षकारों तथा न्यायनिर्णायक अधिकारी को भेजेगा ।

(5) उपधारा (2) के अधीन फाइल की गई कोई अपील, अपील अधिकरण द्वारा यथासंभव त्वरित ढंग से निपटाई जाएगी और उसके द्वारा उस तारीख से, जिसमें अपील उसे प्रस्तुत की गई थी, छह मास की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करने का प्रत्येक प्रयास किया जाएगा ।

(6) अपील अधिकरण उसके समक्ष अपील का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए, ऐसी अपील निपटाने के लिए सुसंगत अभिलेख मंगा सकेगा तथा ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

अपील अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां ।

1997 का 24

33घ. भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 14झ से धारा 14ट (दोनों सम्मिलित है) तथा धारा 16 और धारा 17 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, अपील अधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में लागू होंगे, जैसे वे उस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन करने में लागू होते हैं ।

भारत के उच्चतम न्यायालय को अपील ।

1908 का 5

33ङ. (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, अपील अधिकरण के किसी आदेश के विरुद्ध, जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, ऐसे आदेश से विधि का कोई सारवान प्रश्न उद्भूत होने पर,

उच्चतम न्यायालय में अपील होगी ।

(2) अपील अधिकरण द्वारा किए गए किसी ऐसे विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी, जिस पर पक्षकार सहमत हो गए हैं ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस विनिश्चय या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी :

परंतु उच्चतम न्यायालय पैंतालीस दिन की उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् भी अपील सुन सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसे फाइल न करने का पर्याप्त कारण था ।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का न होना ।

33च. किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिस पर इस अधिनियम के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी या अपील अधिकरण इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अवधारण करने के लिए सशक्त है, किसी सिविल न्यायालय को किसी वाद या कार्यवाही की अधिकारिता नहीं होगी, और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में की गई किसी कार्रवाई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जाएगा ।"।

धारा 38 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 38 में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 39 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 39 में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 40 का प्रतिस्थापन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 40 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुरोधकर्ता अस्तित्व या आफलाइन सत्यापन चाहने वाले अस्तित्व द्वारा अप्राधिकृत उपयोग के लिए शास्ति ।

"40. जो कोई,—

(क) अनुरोधकर्ता अस्तित्व होते हुए, धारा 8 की उपधारा (2) के उल्लंघन में किसी व्यक्ति की पहचान सूचना का उपयोग करेगा; या

(ख) आफलाइन सत्यापन चाहने वाला अस्तित्व होते हुए, धारा 8क की उपधारा (2) के उल्लंघन में किसी व्यक्ति की पहचान सूचना का उपयोग करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा या कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।"।

धारा 42 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 42 में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "तीन वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 47 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 47 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु न्यायालय, आधार संख्या धारक या व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर,

धारा 34 या धारा 35 या धारा 36 अथवा धारा 37 या धारा 40 या धारा 41 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगा ।"।

नई धारा 50क का अंतःस्थापन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 50 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

आय पर कर से छूट ।

"50क. आय-कर अधिनियम, 1961 या आय, लाभ या अभिलाभ पर कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण अपनी आय, लाभ या अभिलाभ के संबंध में आय-कर या कोई अन्य कर संदाय करने का दायी नहीं होगा ।"।

1961 का 43

धारा 51 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 51 में, "सदस्य, अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "सदस्य या अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 53 का संशोधन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) वह प्रयोजन, जिसके लिए अनुरोधकर्ता अस्तित्व को धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन अधिप्रमाणन के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किया जाए;";

(ii) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(छक) धारा 33ख की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी की अर्हता और अनुभव तथा उसकी नियुक्ति की रीति ;

(छख) धारा 33घ की उपधारा (2) के अधीन अपील फाइल किए जाने का प्ररूप, रीति और फीस ;"।

धारा 54 का संशोधन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) खंड (कक) के अधीन आधार पारिस्थितिक तंत्र में के अस्तित्व या अस्तित्व समूह, खंड (छ) के अधीन बायोमैट्रिक सूचना और खंड (ट) के अधीन जनसांख्यिकीय सूचना, खंड (ड) के अधीन नामांकनकर्ता अभिकरणों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना संगृहीत करने की प्रक्रिया तथा खंड (तक) के अधीन आधार संख्या धारक के आफ लाइन सत्यापन की रीतियां ,'';

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(खक) धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन वैकल्पिक परोक्ष पहचान जनित करने की रीति ;

(खख) ऐसी रीति, जिसमें धारा 3क की उपधारा (2) के अधीन आधार संख्या का रद्दकरण किया जाएगा ।"।

(iii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे,

अर्थात् :—

"(गक) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अनुरोधकर्ता अस्तित्वों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले गोपनीयता और सुरक्षा के मानक ;

(गख) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अनुरोधकर्ता अस्तित्वों का वर्गीकरण ;"।

(iv) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(चक) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ख) के परंतुक के अधीन व्यक्ति की पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन ;

(चख) धारा 8क की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन सहमति अभिप्राप्त करने की रीति, उपधारा (3) के अधीन आफ लाइन सत्यापन करने के लिए व्यक्ति को सूचना उपलब्ध करवाने की रीति और उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन आफ लाइन सत्यापन चाहने वाले अस्तित्वों के दायित्व ;"।

धारा 57 का लोप ।

23. मूल अधिनियम की धारा 57 का लोप किया जाएगा ।

भाग 3

भारतीय तार अधिनियम, 1885 का संशोधन

1985 के अधिनियम संख्यांक 13 की धारा 4 का संशोधन ।

24. भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

'(3) कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन भारत के किसी भाग के भीतर तार यंत्रों की स्थापना, अनुरक्षण या चालन की अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, किसी ऐसे व्यक्ति की—

2016 का 18

(क) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 के अधीन अधिप्रमाणन द्वारा ; या

2016 का 18

(ख) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 के अधीन आफ लाइन सत्यापन द्वारा ; या

1967 का 15

(ग) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 4 के अधीन जारी पासपोर्ट के उपयोग द्वारा ; या

(घ) पहचान का कोई अन्य ऐसा विधिमान्य शासकीय दस्तावेज या ढंग द्वारा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए,

पहचान करेगा, जिसे वह अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है ।

(4) यदि कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन भारत के किसी भाग के भीतर तार यंत्रों की स्थापना, अनुरक्षण या चालन की अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान करने के लिए, जिसे वह अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है, उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन अधिप्रमाणन का

उपयोग कर रहा है, तो वह उपधारा (3) के खंड (ख) से खंड (घ) के अधीन पहचान के अन्य ढंगों को भी ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध करवाएगा ।

(5) उपधारा (3) के अधीन पहचान के ढंगों का उपयोग उस व्यक्ति का स्वैच्छिक विकल्प होगा, जो अपनी पहचान करवाना चाहता है और किसी भी व्यक्ति को आधार संख्या न होने के कारण किसी सेवा से इंकार नहीं किया जाएगा ।

(6) यदि किसी व्यक्ति की पहचान के लिए उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन अधिप्रमाणन का उपयोग किया जाता है तो, न तो व्यक्ति की कोर बायोमैट्रिक सूचना का और न ही उसकी आधार संख्या का भंडारण किया जाएगा ।

(7) उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) की कोई बात, केंद्रीय सरकार को, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे उस व्यक्ति की पहचान के संबंध में, जिसे वह सेवाएं उपलब्ध करवाता है, उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, अनुपालन के लिए और रक्षोपाय तथा शर्तें विनिर्दिष्ट करने से निवारित नहीं करेगी ।

स्पष्टीकरण—"आधार संख्या" और "कोर बायोमैट्रिक सूचना" पदों का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) और खंड (ञ) में उनका है ।'। 2016 का 18

भाग 4

धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का संशोधन

नई धारा 11क का अंत:स्थापन ।

25. धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (जिसे इस भाग में मूल अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 4 में, धारा 12 से पहले निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 2002 का 15

रिपोर्टकर्ता इकाई द्वारा पहचान का सत्यापन ।

'11क. (1) प्रत्येक रिपोर्टकर्ता इकाई द्वारा, उसके ग्राहकों और हिताधिकारी स्वामियों की पहचान का सत्यापन,—

(क) यदि रिपोर्टकर्ता इकाई कोई बैंककारी कंपनी है, तो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 के अधीन अधिप्रमाणन द्वारा ; या 2016 का 18

(ख) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 के अधीन आफ लाइन सत्यापन द्वारा ; या 2016 का 18

(ग) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 4 के अधीन जारी पासपोर्ट के उपयोग द्वारा ; या 1967 का 15

(घ) पहचान का कोई अन्य ऐसा विधिमान्य शासकीय दस्तावेज या ढ़ंग द्वारा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए,

करेगा :

परंतु केंद्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जांता है कि बैंककारी कंपनी

2016 का 18

से भिन्न रिपोर्टकर्ता इकाई ने आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 के अधीन गोपनीयता और सुरक्षा के ऐसे मानकों का पालन किया है और ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, अधिसूचना द्वारा, ऐसी इकाई को खंड (क) के अधीन अधिप्रमाणन का पालन करने की अनुज्ञा दे सकेगी :

2016 का 18

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन कोई अधिसूचना, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और समुचित विनियामक के परामर्श के बिना जारी नहीं की जाएगी ।

(2) यदि कोई रिपोर्टकर्ता इकाई, अपने ग्राहक या हिताधिकारी स्वामी की पहचान के सत्यापन के लिए उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अधिप्रमाणन का पालन करती है, तो वह उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन पहचान के अन्य ढंगों को ऐसे ग्राहक या हिताधिकारी स्वामी को उपलब्ध करवाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन पहचान के ढंगों का उपयोग ऐसे प्रत्येक ग्राहक या हिताधिकारी स्वामी का स्वैच्छिक विकल्प होगा, जो अपनी पहचान करवाना चाहता है और किसी भी ग्राहक या हिताधिकारी स्वामी को आधार संख्या न होने के कारण सेवाओं से इंकार नहीं किया जाएगा ।

(4) यदि किसी ग्राहक या हिताधिकारी स्वामी की पहचान के लिए उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन अधिप्रमाणन या आफ लाइन सत्यापन का उपयोग किया जाता है तो, न तो उसकी कोर बायोमैट्रिक सूचना का और न ही उसकी आधार संख्या का भंडारण किया जाएगा ।

(5) इस धारा की कोई बात, केंद्रीय सरकार को, उसके ग्राहक या हिताधिकारी स्वामी की पहचान के संबंध में किसी रिपोर्टकर्ता इकाई के लिए अतिरिक्त रक्षोपाय अधिसूचित करने से निवारित नहीं करेगी ।

2016 का 18

स्पष्टीकरण—"आधार संख्या" और "कोर बायोमैट्रिक सूचना" पदों का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) और खंड (ञ) में उनका है ।

धारा 12 का संशोधन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) में खंड (ग) और खंड (घ) का लोप किया जाएगा ।

धारा 73 का संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (2) में खंड (ञ) और खंड (ञञ) का लोप किया जाएगा ।

निरसन और व्यावृतियां ।

2019 का अध्यादेश सं. 9

28. (1) आधार और अन्य विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 निरसित किया जाता है ।

(2) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (आधार अधिनियम) का अधिनियमन भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को सुशासन, ऐसे व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित करके ऐसी सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं के, जिसके लिए भारत की संचित निधि से व्यय उपगत किया जाता है, दक्ष, पारदर्शी और लक्ष्यित परिदान के लिए तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए किया गया था ।

2. 27 जुलाई, 2018 को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी. एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञों की समिति ने प्रारूप वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक के साथ डाटा संरक्षण संबधी विभिन्न मुद्दों के संबंध में "मुक्त और उचित डिजिटल अर्थव्यवस्था : निजता संरक्षण, भारतीयों का सशक्तिकरण" नामक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा आधार अधिनियम में कतिपय संशोधनों का भी सुझाव दिया ।

3. उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक न्यायपीठ ने अपनी 2012 की रि० या० 494 न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के निर्णय तारीख 24 अगस्त, 2017 में निजता को संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन मूल अधिकार घोषित किया । इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 26 सितंबर, 2018 के निर्णय द्वारा कतिपय निर्बंधनों और परिवर्तनों के साथ, जैसे बालकों के नामांकन के मामले में पिता या माता अथवा संरक्षक की सहमति प्राप्त करना, अठारह वर्ष की आयु पूर्ण करने पर बालकों को अपनी आधार संख्या रद्द करने का विकल्प देना, अधिप्रमाणन के लिए सूचित सहमति का उपबंध करना और विधि द्वारा अनुज्ञात प्रयोजनों के लिए ही अधिप्रमाणन को सीमित करना, आधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता को पुष्ट किया है ।

4. 122 करोड़ से अधिक आधार संख्या जारी किए जाने तथा भारत सरकार, राज्य सरकारों और अन्य अस्तित्वों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए पहचान के सबूत के रूप में आधार के वृहद उपयोग को ध्यान में रखते हुए, आधार के प्रचालन के लिए विनियामक ढांचा होना आवश्यक है । इसलिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (आधार अधिनियम के अधीन सृजित प्राधिकरण) के पास प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए विनियामक के समान शक्तियां होनी चाहिए । आधार अधिनियम, उसके वर्तमान रूप में आधार पारिस्थितिक तंत्र में गलती करने वाले अस्तित्वों के विरुद्ध प्राधिकरण को प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए सशक्त नहीं करता है । इसे निजता के संरक्षण और प्राधिकरण की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से ठीक करने की आवश्यकता है ।

5. इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016, भारतीय तार अधिनियम, 1885 और धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का संशोधन करने का प्रस्ताव है । विधेयक की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

(क) प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में बारह अंकों की आधार संख्या तथा इसकी वैकल्पिक संख्याएं जनित करने का उपबंध करना जैसी किसी व्यष्टि की वास्तविक आधार संख्या को छिपाने के लिए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ख) आधार संख्या धारण करने वाले बालकों को अठारह वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अपनी आधार संख्या रद्द करने का विकल्प देना;

(ग) अधिप्रमाणन या आफलाइन सत्यापन या किसी अन्य ढंग द्वारा भौतिक या इलैक्ट्रानिक रूप में आधार संख्या के स्वैच्छिक उपयोग के लिए उपबंध करना, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(घ) आधार संख्या के आफलाइन सत्यापन का अधिप्रमाणन केवल आधार संख्या धारक की सूचित सहमति से किया जा सकता है;

(ङ) अधिप्रमाणन से इंकार करने या उसमें असमर्थ रहने पर सेवाओं से इंकार का निवारण;

(च) अधिप्रमाणन करने वाले अस्तित्वों को तभी अनुज्ञात करना जब वे प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट निजता और सुरक्षा के मानकों का अनुपालन करें; और अधिप्रमाणन संसद् द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए बनाई गई किसी विधि के अधीन अनुज्ञात हो या अधिप्रमाणन ऐसे प्रयोजन के लिए हो, जो केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण के परामर्श से और राज्य के हित में विहित करे;

(छ) किसी आधार संख्या धारक के आफलाइन सत्यापन के लिए प्रक्रिया अधिकथित करना;

(ज) प्राधिकरण को ऐसे निदेश देने के लिए शक्ति प्रदान करना जो वह आधार पारिस्थितिक तंत्र में किसी अस्तित्व को देना आवश्यक समझे;

(झ) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि की स्थापना के लिए;

(ञ) अनुरोधकर्ता अस्तित्व और आफलाइन सत्यापन चाहने वाले अस्तित्व द्वारा सूचना साझा करने पर निर्बंधनों को बढ़ावा;

(ट) सिविल शास्तियों, इसके न्यायनिर्णयन, उसकी अपील और भू-राजस्व के बकाया के रूप में शास्ति की राशि की वसूली;

(ठ) प्राइवेट अस्तित्वों द्वारा आधार के उपयोग से संबंधित आधार अधिनियम की धारा 57 का लोप;

(ड) भारतीय तार अधिनियम, 1885 और धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन स्वीकार्य अपने 'ग्राहक को जानिए' (के वाई सी) दस्तावेज के रूप में स्वेच्छया अधिप्रमाणन के लिए आधार संख्या के उपयोग को अनुज्ञात करना ।

6. विधेयक के विभिन्न उपबंधों को खण्डों पर टिप्पण विस्तार से स्पष्ट करता है ।

7. चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और तत्काल विधान बनाने की आवश्यकता थी, राष्ट्रपति ने आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अध्यादेश (2019 का अध्यादेश सं. 9), 2 मार्च, 2019 को प्रख्यापित किया ।

8. विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश के प्रतिस्थापन के लिए है ।

नई दिल्ली ;
14 जून, 2019

रवि शंकर प्रसाद

खंडों पर टिप्पण

खंड 1--यह खंड अधिनियम के संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का उपबंध करता है ।

खंड 2--यह खंड आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (आधार अधिनियम) की परिभाषाओं से संबंधित धारा 2 का संशोधन करने के लिए है जिससे विधेयक में प्रयुक्त कतिपय पदों की नई परिभाषाओं का उपबंध किया जा सके, जिनमें अन्य बातों के साथ, "आधार संख्या", "आधार पारिस्थितिक तंत्र", "न्यायनिर्णायक अधिकारी", "अपील अधिकरण", "बालक", "आफलाइन सत्यापन", और "आफलाइन सत्यापन चाहने वाला अस्तित्व" सम्मिलित हैं ।

खंड 3--यह खंड आधार संख्या से संबंधित आधार अधिनियम की धारा 3 का संशोधन करने के लिए है जिससे आधार संख्या के अर्थान्तर्गत "प्राधिकरण द्वारा जनित कोई वैकल्पिक वास्तविक पहचान" का उपबंध करने के लिए एक नई उपधारा (4) अंतःस्थापित की जा सके ।

खंड 4--यह खंड आधार अधिनियम में धारा 3क अंतःस्थापित करने के लिए है जिसमें "बालकों की आधार संख्या" के लिए उपबंध है ।

खंड 5--यह खंड आधार संख्या के गुणों से संबंधित आधार अधिनियम की धारा 4 का संशोधन करने के लिए है जिससे उसकी उपधारा (3) को पांच नई उपधाराओं के साथ प्रतिस्थापित किया जा सके, जो आधार संख्या के स्वेच्छया उपयोग, ऐसी शर्तें, जिनके अधीन अस्तित्व अधिप्रमाणन कर सकते हैं, अस्तित्वों का ऐसा वर्गीकरण, जो आधार संख्या का उपयोग कर सकते हैं और जो केवल पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन दिए जा सकते हैं और अनिवार्य अधिप्रमाणन की शर्तें प्रस्तावित करके वैकल्पिक वास्तविक पहचान का उपयोग कर सकते है ।

खंड 6--यह खंड आधार संख्या के अधिप्रमाणन से संबंधित आधार अधिनियम की धारा 8 का संशोधन करने के लिए है जिससे किसी बालक को जारी आधार संख्या के अधिप्रमाणन से पूर्व माता-पिता या संरक्षक को सहमति अभिप्राप्त करने की अपेक्षा का उपबंध किया जा सके ।

खंड 7--यह खंड आधार अधिनियम में एक नई धारा 8क अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे आधार संख्या के आफ लाइन सत्यापन के लिए उपबंध किया जा सके ।

खंड 8--यह खंड प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से संबंधित आधार अधिनियम की धारा 21 को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे प्राधिकरण द्वारा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए उपबंध किया जा सके ।

खंड 9--यह खंड आधार अधिनियम में प्राधिकरण की निदेश जारी करने की शक्ति से संबंधित आधार अधिनियम में एक नई धारा 23क अंतःस्थापित करने के लिए है । इसमें यह उपबंधित है कि प्राधिकरण, आधार पारिस्थितिक तंत्र में अस्तित्वों को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए निदेश जारी कर सकेगा ।

खंड 10--यह खंड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि के गठन के लिए आधार अधिनियम की धारा 25 के प्रतिस्थापन के लिए है ।

खंड 11–यह खंड सूचना साझा करने पर निर्बन्धन से संबंधित धारा 29 का संशोधन करने के लिए है । यह उसकी उपधारा (3) और उपधारा (4) को प्रतिस्थापित करता है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पहचान सूचना का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा ।

खंड 12–यह खंड कतिपय मामलों में सूचना का प्रकटन से संबंधित आधार अधिनियम की धारा 33 का संशोधन करने के लिए है । यह अन्य बातों के साथ-साथ किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसकी जानकारी निर्मोचित करने की ईप्सा की गई है, सुनवाई का अवसर दिए जाने और प्रकटन की अनुज्ञा से उच्च स्तरों पर बढ़ाने का उपबंध करने के लिए उपधारा (1) और उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 13–यह खंड आधार अधिनियम में एक नया अध्याय 6क अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे सिविल शास्तियों का उपबंध किया जा सके । प्रस्तावित नई धारा 33क में सिविल शास्ति के लिए उपबंध है, जो अधिनियम, नियमों, विनियमों, किन्हीं उपबंधों और आधार पारिस्थितिक तंत्र में किसी अस्तित्व द्वारा दिए गए निदेशों का पालन करने में असफल रहने पर प्रत्येक उल्लंघन के लिए एक करोड़ रुपए तक हो सकेगी । प्रस्तावित नई धारा 33ख में प्राधिकरण द्वारा न्यायनिर्णायक अधिकारी की नियुक्ति और प्रक्रिया और ऐसे अधिकारी की शक्तियों के बारे में उपबंध है । प्रस्तावित नई धारा 33ग में यह उपबंध है कि भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 14 के अधीन स्थापित दूर संचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण, न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपीलें सुनने के लिए अपील अधिकरण के रूप में होगा । प्रस्तावित नई धारा 33घ में अपील अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां अधिकथित हैं । प्रस्तावित नई धारा 33ङ अपील अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय को अपील करने का उपबंध करती है । प्रस्तावित नई धारा 33च में ऐसे मामलों के बारे में उपबंध है जिसमें सिविल न्यायालय को अधिकारिता नहीं होगी ।

खंड 14–यह खंड केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार तक अधिकृत पहुंच के लिए शास्ति से संबंधित आधार अधिनियम की धारा 38 का संशोधन करने के लिए है जिससे तीन वर्ष के दंड को बढ़ाकर दस वर्ष किया जा सके ।

खंड 15–यह खंड केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार में डाटा के साथ छेड़छाड़ करने के लिए शास्ति से संबंधित आधार अधिनियम की धारा 39 का संशोधन करने के लिए है जिससे तीन वर्ष के दंड को बढ़ाकर दस वर्ष किया जा सके ।

खंड 16–यह खंड अनुरोधकर्ता अस्तित्व द्वारा अप्राधिकृत उपयोग के लिए शास्ति से संबंधित आधार अधिनियम की धारा 40 का संशोधन करने के लिए है जिससे अनुरोधकर्ता अस्तित्व और आफलाइन सत्यापन अस्तित्व द्वारा अप्राधिकृत उपभोग के लिए शास्ति का उपबंध किया जा सके ।

खंड 17–यह खंड साधारण शास्ति से संबंधित आधार अधिनियम की धारा 42 का संशोधन करने के लिए है जिससे एक वर्ष के दंड को बढ़ाकर तीन वर्ष किया जा सके ।

खंड 18–यह खंड अपराधों का संज्ञान से संबंधित आधार अधिनियम की धारा 47 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध करने के लिए उसमें एक नया परन्तुक अंतःस्थापित किया जा सके कि आधार संख्यांक धारक या कोई व्यक्ति भी मूल अधिनियम

की धारा 34, धारा 35, धारा 36, धारा 37, धारा 40 या धारा 41 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के संबंध में कोई परिवाद फाइल कर सकेगा या कार्यवाहियां प्रारंभ कर सकेगा ।

खंड 19–यह खंड आधार अधिनियम में आय पर कर से छूट से संबंधित एक नई धारा 50क अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे प्राधिकरण को आय, लाभ या अभिलाभों पर कर से छूट दी जा सके ।

खंड 20–यह खंड "सदस्य, अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "सदस्य या अधिकारी" शब्दों का प्रतिस्थापन करके प्रत्यायोजन से संबंधित आधार अधिनियम धारा 51 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 21–यह खंड विधेयक के अधीन प्रस्तावित कतिपय विषयों पर नियमों का उपबंध करने के लिए उपधारा (2) में नए खंड अंतःस्थापित करने के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकरण की शक्ति से संबंधित आधार अधिनियम की धारा 53 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 22–यह खंड विधेयक के अधीन प्रस्तावित कतिपय विषयों पर विनियमों का उपबंध करने के लिए उपधारा (2) में नए खंड अंतःस्थापित करने हेतु विनियम बनाने के लिए प्राधिकरण की शक्ति से संबंधित आधार अधिनियम की धारा 54 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 23–यह खंड विधि के अधीन अन्य प्रयोजनों के लिए आधार संख्या के उपयोग को निवारित नहीं करने वाली आधार अधिनियम की धारा 57 का लोप करने के लिए है ।

खंड 24–यह खंड भारतीय तार अधिनियम, 1885 की तार के संबंध में विशिष्ट विशेषाधिकारों से संबंधित धारा 4 का संशोधन करने तथा उन व्यक्तियों, जो अनुज्ञप्तिधारी से सेवाएं प्राप्त करते हैं, की पहचान के अन्य ढंगों के अलावा स्वेच्छया आधार अधिप्रमाणन तथा आफलाइन सत्यापन के उपयोग का उपबंध करने के लिए नई उपधाराएं (3), (4), (5), (6) और (7) अंतःस्थापित करके अनुज्ञप्ति देने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 25–यह खंड धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएल अधिनियम) के अध्याय 4 के अधीन बैंककारी कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्तियों की बाध्यताओं से संबंधित धारा 11क का अंतःस्थापन करने के लिए है जिससे रिपोर्टकर्ता अस्तित्व द्वारा ग्राहक या हिताधिकारी स्वामी की पहचान के सत्यापन के लिए अन्य ढंगों के अलावा स्वेच्छया आधार अधिप्रमाणन तथा आफलाइन सत्यापन का उपबंध किया जा सके ।

खंड 26–यह खंड धन-शोधन निवारण अधिनियम की रिपोर्टकर्ता इकाई द्वारा अभिलेख रखने से संबंधित धारा 12 का संशोधन करने के लिए है जिससे उसके खंड (ग) और (घ) का लोप किया जा सके ।

खंड 27–यह खंड धन-शोधन निवारण अधिनियम की नियम बनाने की शक्ति से संबंधित धारा 73 का संशोधन करने के लिए है जिससे उसकी उपधारा (2) के खंड (ञ) और खंड (ञञ) का लोप किया जा सके ।

खंड 28–यह खंड आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को प्रतिस्थापित करने और उक्त अध्यादेश के दौरान की गई कार्रवाई को सुरक्षित करने के लिए है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 21 अधिनियम की धारा 53 का संशोधन करने के लिए है जो केन्द्रीय सरकार को-- (i) वह प्रयोजन जिसके लिए अनुरोधकर्ता अस्तित्व को धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन अधिप्रमाणन के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किया जाए ; (ii) धारा 33ख की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी की अर्हता और अनुभव तथा उसकी नियुक्ति की रीति ; और (iii) धारा 33ग की उपधारा (2) के अधीन अपील फाइल किए जाने का प्रारूप, रीति और फीस के लिए उपबंध करने हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त करता है ।

2. विधेयक का खंड 22 अधिनियम की धारा 54 का संशोधन करने के लिए है जो-- (i) खंड (कक) के अधीन आधार पारिस्थितिक तंत्र में के अस्तित्व या अस्तित्व समूह, खंड (छ) के अधीन बायोमैट्रिक सूचना, खंड (ट) के अधीन जनसांख्यिकीय सूचना और खंड (ड) के अधीन नामांकनकर्ता अभिकरणों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना संगृहीत करने की प्रक्रिया तथा खंड (तक) के अधीन आधार संख्या धारक के आफलाइन सत्यापन की रीतियां ; (ii) धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन वैकल्पिक परोक्ष पहचान जनित करने की रीति ; (iii) ऐसी रीति, जिसमें धारा 3क की उपधारा (2) के अधीन आधार संख्या का रद्दकरण किया जाएगा ; (iv) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अनुरोधकर्ता अस्तित्वों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले गोपनीयता और सुरक्षा के मानक ; (v) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अनुरोधकर्ता अस्तित्वों का वर्गीकरण ; (vi) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ख) के परंतुक के अधीन व्यक्ति की पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन ; और (vii) धारा 8क की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन सहमति अभिप्राप्त करने की रीति, उपधारा (3) के अधीन आफ लाइन सत्यापन करने के लिए व्यक्ति को सूचना उपलब्ध करवाने की रीति और उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन आफलाइन सत्यापन चाहने वाले अस्तित्वों के दायित्व के लिए उपबंध करने हेतु विनियम बनाने के लिए शक्ति प्रदत्त करता है ।

3. वे विषय, जिनके बारे में नियम या विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 18) से उद्धरण

*   *   *   *   *   *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "आधार संख्या" से धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी पहचान संख्या अभिप्रेत है ;

*   *   *   *   *   *

आधार संख्या के गुण ।

4. (1)   *   *   *   *   *

(3) कोई आधार संख्या, अधिप्रमाणन और ऐसी अन्य शर्तों के अध्यधीन जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, किसी भी प्रयोजन के लिए भौतिक या इलैक्ट्रोनिक रूप में आधार संख्यांक धारक की पहचान के सबूत के रूप में स्वीकृत की जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "इलैक्ट्रोनिक रूप में" पद का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में है । 2000 का 21

*   *   *   *   *   *

आधार संख्या का अधिप्रमाणन ।

8. (1)   *   *   *   *   *

(2) अनुरोधकर्ता अस्तित्व—

(क) जब तक कि इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हो, किसी व्यक्ति अधिप्रमाणन को प्रयोजनों के लिए पहचान सूचना एकत्र करने से पूर्व, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसकी सहमति अभिप्राप्त करेगा ; और

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि किसी व्यक्ति की पहचान सूचना का उपयोग केवल अधिप्रमाणन के लिए केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार को देने के लिए किया जाए ।

(3) अनुरोधकर्ता अस्तित्व अधिप्रमाणन के लिए अपनी पहचान सूचना देने वाले व्यक्ति को, ऐसे रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अधिप्रमाणन के संबंध में, निम्नलिखित ब्यौरों की जानकारी देगा, अर्थात् :—

*   *   *   *   *   *

प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।

21. (1) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से प्राधिकरण को उसके कृत्यों के निर्वहन में अपेक्षित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, प्रकृति और प्रवर्गों का अवधारण कर सकेगा ।

(2) प्राधिकरण के कार्यपालक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

* * * * * *

25. प्राधिकरण द्वारा संग्रहीत फीस या राजस्व भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा । अन्य फीस और राजस्व ।

* * * * * *

29. (1) * * * * * सूचना साझा करने पर निर्बंधन ।

(3) किसी अनुरोधकर्ता अस्तित्व के पास उपलब्ध पहचान संबंधी सूचना को,—

(क) अधिप्रमाणन के लिए कोई पहचान संबंधी सूचना प्रस्तुत करते समय किसी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा ; या

(ख) ऐसे व्यक्ति की पूर्व सहमति के सिवाय, जिससे ऐसी सूचना संबंधित है प्रकट नहीं किया जाएगा ।

(4) किसी आधार संख्यांक धारक के संबंध में इस अधिनियम के अधीन संगृहीत या सृजित कोई आधार संख्यांक या कोर बायोमैट्रिक सूचना विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रयोजनों के सिवाय सार्वजनिक रूप से प्रकाशित, प्रदर्शित या चिपकाई नहीं जाएगी ।

* * * * * *

33. (1) धारा 28 की उपधारा (2) या उपधारा (5) या धारा 29 की उपधारा (2) में की गई कोई बात जिला न्यायालय से निम्नतर किसी न्यायालय के किसी आदेश के अनुसरण में किया गया सूचना का कोई प्रकटन, जिसके अन्तर्गत पहचान सूचना या अधिप्रमाणन अभिलेख भी है, के संबंध में लागू नहीं होगी : कतिपय मामलों में सूचना का प्रकटन ।

परन्तु इस उपधारा के अधीन न्यायालय द्वारा, प्राधिकरण को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

(2) धारा 28 की उपधारा (2) या उपधारा (5) या धारा 29 की उपधारा (1) में, उपधारा (2) या उपधारा (3) में की गई कोई बात, केन्द्रीय सरकार के किसी आदेश द्वारा इस निमित्त विशेषरूप से प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी के जो, भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो किसी निदेश के अनुसरण में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गएकिसी सूचना के प्रकटन को जिसके अन्तर्गत पहचान संबंधी सूचना या अधिप्रमाण अभिलेख भी है, लागू नहीं होगी :

परन्तु इस उपधारा के अधीन जारी प्रत्येक निर्देश का, उसके प्रभावी होने से पूर्व मंत्रिमंडल सचिव और विधि कार्य विभाग और इलैक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में भारत सरकार के सचिवों से मिलकर बनी अन्वेक्षा समिति द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन जारी कोई निर्देश उसके जारी होने की

तारीख से तीन मास की अवधि तक विधिमान्य होगा जिसे अन्वेक्षा समिति द्वारा पुनर्विलोकन के पश्चात् तीन मास की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा ।

*   *   *   *   *   *

केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार तक अप्राधिकृत पहुंच के लिए शास्ति ।

38. जो कोई, प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत न होते हुए साशय,—

(क) केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार तक पहुंच रखता है या पहुंच सुनिश्चित करता है ;

(ख) केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार से या किसी स्थानांतरणीय भंडार माध्यम से कोई आंकड़ा डाउनलोड करता है प्रतिलिपि करता है या उद्धरण लेता है ;

(ग) कोई वायरस या अन्य कंप्यूटर संदूषक प्रवेश करता है या प्रवेश करवाता है ;

(घ) केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार में आंकड़ो को नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचवाता है ;

(ङ) केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार पहुंच से विछिन्न करता है या विछिन्न करवाता है ; या

(च) केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार में पहुंच के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति की पहुंच से इंकार करता है या इंकार करवाता है ;

(छ) ऊपर उल्लिखित कृत्यों में से किसी को करने के लिए किसी व्यक्ति को कोई सहायता प्रदान करता है ; या

(ज) किसी विकलनीय भंडारण मीडिया या केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार में भंडारित किसी सूचना को नष्ट करता है, हटाता है या परिवर्तित करता है अथवा उसके मूल्य या उपयोगिता या प्रभाव को किसी क्षतिपूर्ण साधन द्वारा कम करता है ; या

(झ) नुकसान कारित करने के आशय से प्राधिकरण द्वारा प्रयुक्त किसी कंप्यूटर स्रोत कोड को चुराता है, छिपाता है, नष्ट करता है या परिवर्तित करता है अथवा किसी व्यक्ति से चोरी करवाता है या छिपवाता है या नष्ट करवाता है या परिवर्तित करवाता है,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक कोरड़ रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "कंपयूटर संदूषक", "कंपयूटर वाइरस" और "नुकसान" पदों के वही अर्थ होंगे जो सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43 के स्पष्टीकरण में क्रमशः उनके है और "कंपयूटर स्रोत कोड" पद का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम की धारा 65 के स्पष्टीकरण में उसका है । 2000 का 21

केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार में डाटा के साथ छेड़छाड़ करने के लिए शास्ति ।

39. जो कोई, प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत न होते हुए केन्द्रीय पहचान डाटा निक्षेपागार में डाटा का या किसी स्थानांतरणीय भंडार माध्यम में डाटा का उपयोग करता है या आधार संख्यांक धारक से संबंधित सूचना का उपांतरण करने के आशय से या उसकी किसी जानकारी का पता लगाने के आशय से उपयोग करेगा या उसमें कोई छेड़छाड़ करेगा, वह कारावास से, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो

दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा ।

40. जो कोई, अनुरोधकर्ता अस्तित्व होते हुए, धारा 8 की उपधारा (3) के उल्लंघन में किसी व्यक्ति की पहचान सूचना का उपयोग करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए को हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा । अनुरोधकर्ता अस्तित्व द्वारा अप्राधिकृत उपयोग के लिए शास्ति ।

*   *   *   *   *   *

42. जो कोई, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन कोई ऐसा अपराध करेगा जिसके लिए इस धारा से भिन्न अन्यत्र कोई विनिर्दिष्ट शास्ति उपबंधित नहीं है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा । साधारण शास्ति ।

*   *   *   *   *   *

47. (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के सिवाय, नहीं करेगा । अपराधों का संज्ञान ।

*   *   *   *   *   *

51. प्राधिकरण, लिखित में, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (धारा 54 के अधीन शक्ति के सिवाय) जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा । प्रत्यायोजन ।

*   *   *   *   *   *

54. (1)   *   *   *   *   * प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा (2) के खंड (छ) के अधीन बायोमीट्रिक सूचना और खंड (ट) के अधीन जन सांख्यकीय सूचना, खंड (ड) के अधीन अभ्यावेशन अभिकरण द्वारा व्यष्टियों से जन सांख्यकीय और बायोमीट्रिक सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया ;

*   *   *   *   *   *

57. इस अधिनियम की कोई बात, किसी राज्य या किसी निगमित निकाय या व्यक्ति द्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या इस प्रभाव की किसी संविदा के अनुसरण में, किसी प्रयोजन के लिए व्यक्ति की पहचान स्थापित करने केलिए आधार संख्या के उपयोग को निवारित नहीं करेगी : अधिनियम का विधि के अधीन अन्य प्रयोजनों के लिए आधार संख्या के उपयोग को निवारित न करना ।

परन्तु इस धारा के अधीन आधार संख्यांक का उपयोग धारा 8 और अध्याय 6 के अधीन प्रक्रिया और बाध्यताओं के अधीन रहते हुए किया जाएगा ।

*　　　*　　　*　　　*　　　*　　　*

धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का अधिनियम संख्यांक 15) से उद्धरण

*　　　*　　　*　　　*　　　*　　　*

अध्याय 4

बैंककारी कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्तियों की बाध्यताएं

रिपोर्टकर्ता इकाई द्वारा अभिलेखों का रखा जाना ।

12. (1) प्रत्येक रिपोर्टकर्ता इकाई,—

*　　　*　　　*　　　*　　　*　　　*

(ग) अपने ग्राहकों की पहचान का, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों केअधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, सत्यापन करेगी ;

(घ) अपने ऐसे ग्राहकों के, जो विहित किए जाएं, हिताधिकारी स्वामी की, यदि कोई हो, पहचान करेगी ;

*　　　*　　　*　　　*　　　*　　　*

नियम बनाने की शक्ति ।

73. (1) *　　　*　　　*　　　*　　　*　　　*

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

*　　　*　　　*　　　*　　　*　　　*

(त्र) वह रीति और वे शर्तें, जिनमें धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन रिपोर्टकर्ता इकाइयों द्वारा ग्राहकों की पहचान का सत्यापन किया जाएगा ;

(त्रत्र) धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन रिपोर्टकर्ता इकाइयों द्वारा ग्राहकों से हिताधिकारी स्वामी की, यदि कोई हो, पहचान कराने की रीति ;

*　　　*　　　*　　　*　　　*　　　*

MGIPMRND—595LS(CRC)—18-6-2019.